UPBL010031312026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1365/2026

राजेश यादव पुत्र बालकिशुन यादव, साकिन-जजौली, थाना-भीमपुरा, जिला-बलिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी ।

मु०अ०सं०-66/2026
थाना-भीमपुरा, जनपद-बलिया।
धारा-319(2),318(4),338,336(3),340(2),
115(2),352,351(3) बी.एन.एस.

दिनांक 15.07.2026

1- यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त राजेश यादव की ओर से मुकदमा अपराध सं०-66/2026, अंतर्गत धारा-319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस., थाना-भीमपुरा, जनपद-बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत की गई है, न निरस्त हुई है और न ही लंबित है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी फूलमती अपने माता पिता की एकमात्र संतान है। उसके पिता रामनरेश के नाम से ग्राम जजौली में जमीन है। उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता के मृत्यु के पश्चात उसके पिता के पट्टीदार राजेश कूटरचित कर फर्जी तरीके से उसके पिता के परिवार रजिस्टर में अपना नाम राजेश पुत्र बालकिशुन अंकित करा दिया तथा राजेश ने अपनी पत्नी फुलवा का भी नाम उसके पिता रामनरेश के परिवार रजिस्टर में सेक्रेटरी से मिल मिलाकर अंकित करा दिया। इस प्रकार राजेश ने अपने असली पिता बालकृष्ण का नाम छुपाकर उनके स्थान पर प्रार्थिनी के पिता रामनरेश का नाम अंकित कराकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से उसके पिता रामनरेश के अलग-अलग खातों में उनके स्थान पर अपना नाम राजेश बतौर वारिस दर्ज करा लिया। प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के आधार पर संबंधित न्यायालय के आदेश द्वारा संबंधित थाना भीमपुरा पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ।

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को गलत फंसाया गया है वह निर्दोष है। आवेदक के पिता तथा मुकदमा वादिनी के पिता सगे भाई थे एक ही साथ रहते थे । वादिनी की शादी हो जाने के बाद वादिनी के पिता का पालन पोषण, सेवा सुश्रुषा आवेदक व उसकी पत्नी के द्वारा किया जाता रहा है । वादिनी के पिता व आवेदक के चाचा नरेश ने आवेदक की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर बिना

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.15 18:47:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किसी जोर दबाव के दिनांक 08.12.1998 को आवेदक के नाम से वसीयत लिख दिए । वादिनी अपने पिता के नाम की जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए उनके जीवनकाल से प्रयासरत रही है व उसी के लिए कई बार अपने पिता से झगड़ा फसाद भी कर चुकी है तथा कभी भी सेवा सुश्रुषा नहीं की है वह अपने ससुराल में रहती थी । आवेदक व उसकी पत्नी के द्वारा वादिनी के पिता का सेवा सुश्रुषा व देखभाल व दवा इलाज कराने से हमेशा रंज रहती थी । उक्त रंजिश के कारण फर्जी व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया है । उक्त अपराध में सह अभियुक्ता फुलवा देवी की अग्रिम जमानत दिनांक 02.07.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है । अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5- राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही परिवार रजिस्टर में कूटरचना कर वादिनी के पिता का नाम अपने पिता का नाम काट कर अंकित करा लिया गया एवं वादिनी के पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है । प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6- पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, इस स्तर तक केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान आदि संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त राजेश यादव द्वारा वादिनी के पिता रामनरेश की मृत्यु के पश्चात फर्जी एवं कूटरचित तरीके से वादिनी के पिता के परिवार रजिस्टर में अपना नाम राजेश पुत्र बालकिशुन अंकित कराने के उपरान्त पिता का नाम बालकिशुन कटा कर रामनरेश अंकित करा दिया गया तथा अपनी पत्नी फुलवा का भी नाम वादिनी के पिता रामनरेश के परिवार रजिस्टर में सेक्रेटरी से मिल मिलाकर अंकित करा दिया। इस प्रकार राजेश ने अपने असली पिता बालकिशुन का नाम छुपाकर उनके स्थान पर वादिनी के पिता रामनरेश का नाम अंकित कराकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी तरीके से वादिनी के पिता रामनरेश के अलग-अलग खातों में उनके स्थान पर अपना नाम राजेश बतौर वारिस दर्ज करा लिए जाने का अभियोजन कथानक है ।

7- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि सह अभियुक्ता फुलवा अर्थात प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में दिनांक 02.07.2026 को स्वीकार किया जा चुका है । सह अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि परिवार रजिस्टर में प्रार्थी/अभियुक्त राजेश के पिता का नाम पूर्व में बालकिशुन लिखा हुआ था जिसे काट कर रामनरेश अंकित किया गया है और इसी परिवार रजिस्टर में सह अभियुक्ता फुलवा का नाम पहले से ही होना दर्शित है अर्थात फुलवा अथवा उसके पति/ससुर के नाम में कोई काटपीट नहीं की गई है । जबकि परिवार रजिस्टर में प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के नाम के स्थान पर बालकिशुन को काट कर रामनरेश अंकित किया गया है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त के द्वारा अपने पिता के रूप में बालकिशुन का नाम काट कर रामनरेश करने के उपरान्त रामनरेश की सम्पत्ति स्वयं को रामनरेश का पुत्र दर्शाते हुए खतौनी में नामांतरण करवाया है। यह खतौनी केस डायरी में विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संलग्न की गई है ।

8- अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त राजेश यादव का उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 15.07.2026
Steno-R.K.Yadav

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया
ID No. UP 06529